राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5493/2022

हेमलता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.10.2022
आदेश की दिनांक : 16.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर शहीद जगदीश सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Talfara, कुम्हेर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 29.03.1994 के द्वारा वेतनमान 1200–2050 में हुई थी और दिनांक 08.07.1996 को अपीलार्थी को स्थायी घोषित किया गया। आदेश दिनांक 29.09.1997 की अनुपालना में जो कार्मिक प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आमेलित किया गया और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.08.2004 के द्वारा वेतनमान 5000–8000 दिया गया। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को ग्रेड पे 3600 प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 08.07.2021 को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया, परंतु अपीलार्थी को ग्रेड पे 4200 का लाभ नहीं दिया गया बल्कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2012 से ग्रेड पे 3600 का लाभ दिया गया जबकि अपीलार्थी को दिनांक 08.07.2021 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिये। उनका कथन है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान आदि का लाभ उसे अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर

आमेलित/समायोजन दिनांक से दिया जा रहा है जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में कई अभ्यावेदन दिये परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.2021 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 08.07.1994 से गणना करते हुये प्रदान किया जावे और यदि अपीलार्थी से उक्त मामले के संबंध में कोई वसूली की गई है तो उसे वापिस लौटायी जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य